आदेश

वित्तीय वर्ष 2013–14 में उत्तराखण्ड राज्य में बाढ़, भू–स्खलन व बादल फटने आदि से हुई अतिवृष्टि के दृष्टिगत राज्य में पुनर्वास एवं पुनर्निमाण से सम्बन्धित विभिन्न परियोजनाओं के कार्यों हेतु शासनादेश सं0– 335/XVIII–(2)/F/13–03(12)/2013, दिनांक 04 मार्च 2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा को ₹ 5.00 करोड़ की धनराशि का आवंटन प्राप्त हुआ है। उक्त सन्दर्भित शासनादेश द्वारा आवंटित धनराशि ₹ 5.00 करोड़ को निम्न विवरण के अनुसार जिला स्तरीय परियोजना प्रबन्धन इकाई (पी.आई.यू.) द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर जनपद के निम्न उप जिलाधिकारियों/मुख्य कार्यकारी अधिकारी को आवंटित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

क्र0सं0	सम्बन्धित उप जिलाधिकारी/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम	बैंक का नाम	खाता सं0	आवंटित धनराशि (लाख में)
1–	उप जिलाधिकारी/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सदर/सोमेश्वर।	भारतीय स्टेट बैंक, अल्मोड़ा।	33671323820	₹ 130.00 लाख
2–	उप जिलाधिकारी/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जैंती/भनोली।	भारतीय स्टेट बैंक, पनुवानौला।	33673480101	₹ 100.00 लाख
3–	उप जिलाधिकारी/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सल्ट।	भारतीय स्टेट बैंक, मौलेखाल, सल्ट।	33673168226	₹ 50.00 लाख
4–	उप जिलाधिकारी/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रानीखेत।	बैंक ऑफ इण्डिया, रानीखेत।	714210110000974	₹ 130.00 लाख
5–	उप जिलाधिकारी/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भिकियासैण।	भारतीय स्टेट बैंक, भिकियासैण।	33674115262	₹ 90.00 लाख
			योग–	₹ 500.00 लाख (पांच करोड़ मात्र)

अवमुक्त की जा रही धनराशि उत्तराखण्ड शासन, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास अनुभाग के शासनादेश 279/F/14/XVIII–(2)/15 (32)/A/2013, दिनांक 18 फरवरी 2014 तथा शासनादेश सं0– 302/F/14/XVIII–(2)/15 (32)/A/2013, दिनांक 24 फरवरी 2014 के द्वारा जारी दिशा–निर्देशों एवं प्रक्रिया के अनुसार व्यय किया जा सुनिश्चित किया जायेगा। योजनाओं के क्रियान्वयन में निम्न बिन्दुओं का भी अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाए :–

1– अवमुक्त की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में योजनावार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना सहित नियमानुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। इसका पूर्ण उत्तदायित्व सम्बधित परियोजना क्रियान्वयन इकाई के मुख्य कार्य अधिकारी का होगा।

2– स्वीकृत धनराशि का उपयोग उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस प्रयोजन हेतु धनराशि स्वीकृत की गई है।

3– उक्त स्वीकृति के सापेक्ष व्यय/समर्पित धनराशि का लेखा मिलान सम्बन्धित परियोजना क्रियान्वयन इकाई के मुख्य कार्य अधिकारी द्वारा महालेखाकार कार्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून में निश्चित रूप से प्रत्येक तीन माह में सुनिश्चित कराया जायेगा।

4– उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के लेखों का रख–रखाव एवं शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत वित्तीय नियमों/दिशा–निर्देशों तथा अधिप्राप्ति नियमावली का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा इसके आडिट का पूर्ण उत्तदायित्व सम्बधित परियोजना क्रियान्वयन इकाई के मुख्य कार्य अधिकारी का होगा।

5– स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31.03.2014 तक उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष रहती है तो वह उक्त तिथि तक शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

6– प्रत्येक स्वीकृत योजना की पृथक–पृथक पत्रावली तैयार की जाए। प्रत्येक योजना हेतु कार्य आरम्भ करने से पूर्व सबसे अधिक क्षतिग्रस्त भाग के तीन फोटोग्राफ 4 इंच X 6 इंच के आकार में खींचकर पत्रावली में सुरक्षित रखा जाए। इसी प्रकार कार्य के मध्य में भी इसी साईज के तथा इसी प्रकार के तीन फोटोग्राफ लिये जाए जिससे कार्य की प्रगति ज्ञात हो सके। कार्य समाप्त होने के उपरान्त भी उसी स्थल के तीन फोटोग्राफ 4X 6 इंच के लिये जाए जिससे यह स्पष्ट हो सके कि पूर्व में योजना का भाग कितना क्षतिग्रस्त था किस प्रकार उसे ठीक किया गया है तथा वर्तमान में उसका स्वरूप किस प्रकार का हो गया है तथा किस प्रकार उसमें सुधार हुआ है।

7– दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त कार्यो के मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि के व्यय कार्यो की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति, अनियमितता, गुणवत्ता तथा मानकों की अवहेलना आदि के संबंध में धनराशि के दुरूपयोग व अनियमित उपयोग की स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्ध, प्रथम दण्ड के

रूप में वसूली, द्वितीय दण्ड के रूप में वसूली एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही तथा तृतीय दण्ड के रूप में एफ0 आई0 आर0 की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

8– कार्य की सत्यता एवं गुणवत्ता का प्रमाणीकरण समय–समय पर किया जायेगा। प्रत्येक कार्य में किसी Third Party से अनिवार्य रूप से निरीक्षण करवाया जायेगा तथा प्रत्येक कार्य के पृथक–पृथक उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यालय में सुरक्षित रखे जायेंगे तथा उच्चाधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करने होंगें।

9– प्रत्येक कार्य के लिये प्रारूप सं0–1 व 2 (प्रारूप संलग्न) पर आख्या तैयार कर पत्रावली में कार्यालय में सुरक्षित रखा जाए तथा उच्चाधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करने होंगें।

10– स्वीकृत धनराशि को शीघ्रताशीघ्र उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं Third Party निरीक्षण आख्या अनिवार्य रूप से पत्रावली में सुरक्षित रखी जायेगी। एतद्सम्बन्धी सभी अभिलेख सम्परीक्षा हेतु अपने कार्यालय में सुरक्षित रखे जायेंगे व महालेखाकार/राजस्व परिषद द्वारा सम्परीक्षा किये जाने पर अभिलेखों की सम्परीक्षा सुनिश्चित करायी जायेगी।

11– उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक अनुदान संख्या–6 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–80–सामान्य–800–अन्य व्यय–97–बाह्य सहायतित योजनायें–08–प्रकीर्ण व्यय (विश्व बैंक सहायतित)–24–बृहत् निर्माण कार्य (आयोजनागत) के नामें डाला जायेगा।

(विनोद कुमार सुमन)
जिला अधिकारी, अल्मोड़ा।

कार्यालय जिला अधिकारी, अल्मोड़ा।

संख्या– 3470 /तेरह–07/2013–14, दिनांकः 10 मार्च, 2014

प्रतिलिपि निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, उत्तराखण्ड शासन, आपदा प्रबन्धन एवं पुर्नवास अनुभाग, देहरादून।
2. महालेखाकार,उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) ओबेराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।
4. उप जिलाधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सदर/सोमेश्वर।
5. उप जिलाधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जैंती/भनोली।
6. उप जिलाधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सल्ट।
7. उप जिलाधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रानीखेत।
8. उप जिलाधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भिकियासैण।
9. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, अल्मोड़ा।
10. आपदा प्रबन्धन अधिकारी, अल्मोड़ा।
11. कार्यालय प्रति।

10.03.14

(विनोद कुमार सुमन)
जिला अधिकारी, अल्मोड़ा।